संलग्नक :- शासनादेशसंख्या एस-- 3-2120/10-98, दिनांक 18 अगस्त,1998

संशोधित प्रपत्र-1

(कोषागार द्वारा पेंशन भोगी के खाते में सीधे चेक द्वारा प्रतिमाह देय पेंशन की धनराशि जमा करने का आवेदन पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि मैं.....पति/पत्नी/ पुत्र /

पुत्री.....निवासी.....
पेंशन भुगतानादेश संख्या(पी०पी०ओ० संख्या).....श्रेणी
(उत्तर प्रदेश सरकार/मिलेट्री/रेलवे/राजनैतिक/केन्द्रीय/अन्य सरकार नाम सहित) रूपये .....
मात्र की देय धनराशि बैंक में कोषागार द्वारा सीधे जमा करने हेतु बैंक.....
.शाखा.....में खाता संख्या.....अपने नाम (एकल खाता) खुलवा लिया है |

2-मैं सशपथ स्वीकार करता हूं कि उपरोक्त खाते को मैं भविष्य में भी एकल खाता से भिन्न संचालित नहीं करूगा |

3-यह भी प्रमाणित करता हूं कि अन्यत्र किसी सरकारी /अर्द्ध सरकारी/राज्य सहायता प्राप्त संगठन/संस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप सेवा कर कोई धनोपार्जन नहीं करता हूं /करती हूं |(महिलाओं के प्रकरण में पुर्नविवाह न करने की पुष्टि की जाए)|

4-मेरी मृत्यु होने की दशा पेंशन सम्बन्धी जीवन कालीन अवशेष भुगतान श्री /श्रीमती/
कुमारी..... पति/पत्नी/ पुत्र / पुत्री (सम्बन्ध) निवासी..... किया जाए |

5-यदि उपरोक्त प्रमाण से भिन्न कोई तथ्य सिद्ध होता है तब उसका पूरा दायित्व मुझ पर होगा एवं अधिक भुगतान की धनराशि ब्याज सहित मेरे/ मेरे वारिस के चल-अचल से वसूल किया जा सकेगा |

दिनांक

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर
पी०पी०ओ० संख्या.

कार्यालय/ कोषाधिकारी

(नये प्रकरण में कार्यालयाध्यक्ष, पुराने पेंशन भोगी जो कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे है के प्रकरण में कोषाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे | नये पेंशन प्रकरण में पी०पी०ओ० संख्या. पेंशन स्वीकृति करने वाले अधिकारी द्वारा भरा जाए |)

टिप्पणी--- यदि कारणवश पेंशन के आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र-1 न भेजा जाए तब इस कारण से पेंशन स्वीकृति न रोकी जाए, अपितु निर्देश दे दिया जाए कि कोषागार में प्रथम उपस्थित के समय वह प्रपत्र भरा लिया जाए |